संख्या-128/2018 /1494/6-पु0-7-2018-170/2017

प्रेषक,

एस0पी0उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मख्यालय,
इलाहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2018

विषय- 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी में आवश्यकताओं के दृष्टिगत सेनानायक आवास, 300 व्यक्तियों की क्षमता के एक मल्टीपरपज हाल का निर्माण, जल निकासी समस्या के निराकरण हेतु सीवेज सिस्टम एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या:ग्यारह-192,193-201 दिनांक 28.02.2018 एवं 27.03.2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी में आवश्यकताओं के दृष्टिगत सेनानायक आवास, 300 व्यक्तियों की क्षमता के एक मल्टीपरपज हाल का निर्माण, जल निकासी समस्या के निराकरण हेतु सीवेज सिस्टम एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण कार्यो हेतु निम्न तालिका के अनुसार श्री राज्यपाल रू0 9,53,51,000/- की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस लागत के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त निर्माण कार्यो हेतु रू0 5,22,37,000/- (रू0 पांच करोड़ बाईस लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	वर्ष 2018-19 में आवंटित धनराशि
1	वाराणसी	सेनानायक आवास का निर्माण	92.37	92.37
2	वाराणसी	300 व्यक्तियों की क्षमता के एक मल्टीपरपज हाल का निर्माण, जल निकासी समस्या हेतु सीवेज सिस्टम एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य	861.14	430.00
		योग	953.51	522.37

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त आवश्यक वैधानिक आनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूव मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा ।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की द्रष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(5) पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रसतावित कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(6) पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय। परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जा।

(9) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जायेगा ।

(10) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा ।

(11) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

(12) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या:1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन0आई0सी0 के ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यो, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवं दर-अनुबन्ध (रेट कान्ट्रेक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू कर दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.8.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा ई-मार्केट फेज (जेम जी0ई0एम0) की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय ।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्यो हेतु आवश्यक धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-26 के अधीन लेखाशीर्षक-4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-06-पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मद से वहन की जायेगी ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-12-1132/दस-2018 दिनांक 07 अगस्त, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
एस0पी0उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या-128/2018/1494(1)/6-पु0-7-2018 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इंदिरा भवन, इलाहाबाद ।
6- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पुलिस आवास निगम गोमतीनगर लखनऊ ।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ।
9- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनभाग-1/2
10- गार्ड फाइल हेतु/संबधित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से
एस0पी0उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।